हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा
.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2013 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 22 अगस्त, 2013 को पूर्वाह्न 11–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :–

1– डॉ0 दिनकर बुराठोकी
2– डॉ0 कैलाश चन्द ठाकुर
3– प्रो0 डी0सी0 गौतम
4– डॉ0 एस0सी0 शर्मा
5– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
6– प्रो0 सुरेश कुमार
7– श्री चन्द्र शेखर
8– श्री देवी राम वर्मा
9– श्री बम्बर ठाकुर
10– डॉ0 के0पी0 ठाकुर
12– प्रो0 एम0एल0 झारटा –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्य–1 :</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।
.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 की दूसरी नियमित बैठक में, मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत् एवं अभिनन्दन् करता हूँ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा **दिनांक 17.08.2013** को केन्द्रीय छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर, क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र धर्मशाला, सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र शिमला में शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हुए हैं जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे छात्र समुदाय को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन साथ ही प्रदेश सरकार, सभी जिलों के प्रशासन, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक वर्ग, अभिभावकों, विभिन्न छात्र संगठनों तथा सम्पूर्ण छात्र समुदायों का आभार प्रकट करता है उन्होंने केन्द्रीय छात्र संघ चुनाव करवाने में शान्तिपूर्ण ढ़ंग से करवाने में अपना भरपूर समर्थन एवं सहयोग दिया।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाऐं आयोजित की गईं:—

1. विश्वविद्यालय के 44वें स्थापना दिवस समारोह का उदघाट्न महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 22.07.2013 को प्रातः 11:00 बजे किया तथा माननीय राज्य सभा सांसद, श्री जनार्दन द्विवेदी ने **'शिक्षा टैक्नॉलजी, भाषा और मनुष्य'** विषय पर स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया। इसी दिन ही दूसरे सत्र में केन्द्रीय भूतल

परिवहन मन्त्री, श्री ऑस्कर फर्नांडिज़ ने **'भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्रात्मक परम्पराएं'** विषय पर विशेष व्याख्यान दिया जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजीव शर्मा ने की। तीसरे सत्र में एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का न्यूज़लैटर 'हिमशिखर', 'मोनोग्राफ' च्मतेचमबजपअमे वद म्कनबंजपवदए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्मारिका एवं श्री जनार्दन द्विवेदी का स्थापना दिवस व्याख्यान प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रकाशन प्रकोष्ठ की स्थापना की घोषणा भी की गई। दूसरे दिन दिनांक 23.07.2013 को प्रथम सत्र में स्थापना दिवस समारोहों के दौरान वार्षिक पारितोषिक समारोह आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्ता उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं सूचना जन सम्पर्क मन्त्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया तथा उन्होंने अव्वल रहने वाले छात्र—छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। दूसरे सत्र में **'वैश्वीकरण और प्रजातन्त्र'** विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसके मुख्य अतिथि अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा श्री बृज बिहारी लाल बुटेल रहे तथा इसकी अध्यक्षता प्रो. फुरकान कंवर, कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला ने की। तीसरे सत्र में **'श्रावणी संगीत संध्या'** का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सैनिक कल्याण मन्त्री कर्नल (डॉ.) धनीराम शांडिल थे और अन्तर्राष्ट्रीय सितार वादक श्री प्रतीक चौधरी ने इस अवसर पर अपनी विशेष प्रस्तुति दी। इन समारोहों के अन्तिम दिन 24.07. 2013 को अखिल भारतीय इमाम संगठन प्रमुख, इमाम उमेर अहमद इलियासी ने 'मज़हब के माईने' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया जिसकी अध्यक्षता पंजाबी विश्वविद्यालय

पटियाला के कुलपति प्रो. जसपाल सिंह ने की। समापन समारोह की अध्यक्षता इसी दिन दूसरे सत्र में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री वीरभद्र सिंह ने की तथा उन्होंने विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तृतीय चरण की भी आधारशिला रखी।

2. दिनांक 30.07.2013 को अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, (इक्डोल) ने सत्र 2013–14 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कैलन्डर जारी किया तथा एक साथ नई दिल्ली स्थित सिकन्दरा रोड़, हिमाचल भवन, नोयडा केन्द्र तथा क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला में प्रवेश के लिए विवरणिका जारी की।
3. दिनांक 30.07.2013 को ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की रूसा के कार्यान्वयन के लिए बैठक आयोजित की गई ताकि सुचारू रूप और सही तरीके से रूसा को प्रदेशभर में लागू किया जा सके।
4. दिनांक 05.08.2013 को संगीत विभाग में शोध प्रक्रिया पर आरम्भ हुई कार्यशाला का शुभारम्भ हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन '**प्रतिभा सपन्दन**' अन्तर्विभागीय शोध समूह के सहयोग से किया गया।
5. दिनांक 06.08.2013 को विश्वविद्यालय की खेल–कूद एवं पाठयेत्तर की 42वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई जिसमें पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ताओं ने भाग लिया।
6. दिनांक 13.08.2013 को चण्डीगढ़ स्थित ब्रिटेन उच्चायोग के कार्यलय में उप–उच्चायुक्त श्री डेविड लिलियोट ओबे के साथ शैक्षणिक आदान–प्रदान के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के बीच बात–चीत करने के लिए बैठक आयोजित की गई तथा भविष्य में शीघ्र ही इस सम्बन्ध में दोनों देशों के विद्वानों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच विस्तृत विचार विमर्श होगा।
7. दिनांक 15.08.2013 को हर वर्ष की भान्ति 67वां स्वतन्त्रता दिवस सादगी एवं गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर चौपाल क्षेत्र के अमर शहीद वीरचक्र विजेता श्याम सिंह भिखटा को मरणोंपरान्त स्मरणांजलि दी गई। विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के बच्चों ने देश भक्ति की भावनाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
8. दिनांक 19.08.2013 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में 'मानव मूल्य एवं भारतीय लोकाचार्य' विषय पर पुनःश्चर्या कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

9. दिनांक 21.08.2013 को आई.सी.एस.एस.आर. के सहयोग से विधि एवं अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 'महिलाओं के प्रति हिन्सा' विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविल्कर द्वारा किया गया।

10. दिनांक 21.08.2013 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा आयोजित 'महिला मूल्यों एवं भारतीय परम्पराओं' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

सभी सम्माननीय सदस्यों से आज के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर उनकी राय व निर्णय की अपेक्षा रखता हूं।

अब मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–2:</u> कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 30–3–2013, 8–4–2013, 27–4–2013, 5–6–2013 तथा 12–7–2013 में लिए गये निर्णयों का पुष्टिकरण ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 30–3–2013, 8–4–2013, 27–4–2013, 5–6–2013 तथा 12–7–2013 में लिए गये निर्णयों का पुष्टिकरण किया ।

<u>मद संख्या–3:</u> कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 30–3–2013, 8–4–2013, 27–4–2013, 5–6–2013 तथा 12–7–2013 में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 30–3–2013, 8–4–2013, 27–4–2013, 5–6–2013 तथा 12–7–2013 में लिए गये निर्णयों को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया :

बैठक दिनांकः 8–4–2013

(अन्य मद–III): सम्माननीय सदस्यश्री देवी राम वर्मा ने कहा कि आई.आई.एच.एस. में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े समकक्ष पद के विरूद्ध नियमिति किया जाये । जिस पर कुलपति ने कहा कि इस मामले को जनारथा समिति जो विभिन्न प्रोजैक्टों/योजनाओं में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों को देखने के लिए गठित की है के समक्ष रखा जाए तथा इसकी बैठक शीध्रातिशीघ्र बुलाई जाए ।

बैठक दिनांकः 27–4–2013

(मद संख्या–2(19): निर्माण मण्डल में राजमिस्त्री के पद को बढई में परिवर्तित करने के निर्णय को शीध्र लागू करने के लिए अनुमोदित किया ।

(मद संख्या–2(अन्य मद–IV): प्रदेश सरकार द्वारा जारी सिटीजन चार्टर को विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए यथासम्भव कदम उठाये जायें ।

(मद संख्या–20): परिषद ने निजी महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010–2011 में गलत विषय सम्मिश्रण के अन्तर्गत प्रवेश पर लगाए गए जुर्माने को वापिस करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की तथापि निर्णय लिया कि यदि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा इस जुर्माने को वापिस करने की प्रार्थना की जाती है तो इसका समायोजन महाविद्यालय से भविष्य में ली जाने वाली फीस/अन्य चार्जिज में किया जाये ।

(मद संख्या–27): परिषद ने निर्णय लिया कि B.Pharma (Ayurveda) के द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों के जो स्ट्रे केस में परीक्षा में बैठे थे परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार घोषित किए जाएं ।

(मद संख्या–29): सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी जो अपने शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के दस्तावेज लिए गए निर्णय के समय जमा नहीं करवा पाये थे उनके दस्तावेज लेकर उन्हें लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए। इस पर परिषद ने कुलसचिव द्वारा मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया ।

(अन्य मद-V): सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने विश्वविद्यालय में खाली पड़े सुरक्षा अधिकारी के पद को पदोन्नति से भरने का मामला उठाया जिस पर परिषद ने कहा कि इस मामले में गठित समिति की सिफारिशें आने पर इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा ।

बैठक दिनांकः 12–7–2013

(मद संख्या–1): सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कुलपति महोदय के वक्तव्य में दिनांक 12–7–2013 को हुई बैठक की कार्यसूची सम्माननीय सदस्यों को समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए आदेशित करने के निर्णय पर कहा कि क्योंकि दिनांक 12–7–2013 को हुई बैठक आपातकालीन बैठक थी और नियमों के अनुसार आपातकालीन बैठक की कार्यसूची यथास्थान ही रखी जाती है इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्णय को वापिस लिया जाए ।

इस पर परिषद के सभी सम्माानीय सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुए उपरोक्त निर्णय को वापिस लेने का निर्णय लिया ।

(मद संख्या–14): सम्माननीय सदस्य डॉ0 के0पी0 ठाकुर ने कहा कि भविष्य में वित्त समिति की सिफारिशें सम्माननीय सदस्यों को समय पर उपलब्ध करवाई जाएं ताकि इसका अवलोकन किया जा सके ।

मद संख्या–4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 12–C(7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 12–C(7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय का **संलग्नक** के अनुरूप पुष्टिकरण किया ।

मद संख्या–5: कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

......

कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है ।

मद संख्या–6: आन्तरिक गुणवता प्रकोष्ठ द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्लबों/सोसाइटियों के गठन के लिए बनाए गए नियमों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने आन्तरिक गुणवता आश्वस्ता प्रकोष्ठ की दिनांक 26–4–2013 को हुई बैठक में मद संख्या–25 के अन्तर्गत छात्रों की अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्लबों/सोसाइटियों के गठन को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या–7: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष कम्प्यूटर विज्ञान (एम.सी.ए.) में विद्यावाचस्पति (पी. एच.डी. उपाधि) करने के लिए लिखित परीक्षा में छूट प्रदान करने हेतु ।

......

कार्यकारिणी परिष्द ने श्री मुनीत लखनपाल को कम्प्यूटर विज्ञान (एम.सी.ए.) में विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.) के लिए लिखित परीक्षा से छूट देने की अनुमति प्रदान की । परिषद ने आगे यह भी निर्णय लिया कि जिन विद्यार्थियों ने दिसम्बर, 2009 तक एम.फिल. उपाधि उतीर्ण की है उन्हें भी विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.) में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी जाए ।

मद संख्या–8: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डॉ0 (श्रीमती) आभा चौहान, सहायक आचार्य (अनुबन्ध), विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान, चौड़ा मैदान, शिमला–4 के पक्ष में (विना वेतन के) स्वीकृत असाधारण अवकाश का प्रकरण सूचनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ0 (श्रीमती) आभा चौहान, सहायक आचार्य (अनुबन्ध), विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान, शिमला–4 के पक्ष में (विना वेतन के) स्वीकृत असाधारण अवकाश को विशेष प्रकरण के तौर पर सैद्धान्तिक रूप में अपनी कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि डॉ0 (श्रीमती) आभा चौहान का असाधारण अवकाश की अवधि नियमितीकरण के लिए गणना में नहीं ली जायेगी ।

मद संख्या–9: रामानुंजम शिक्षा महाविद्यालय, मांगल (सोलन) को जारी मान्यता आदेश को वापिस (withdrawal) लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय 38.18

के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने सम्बन्धित मामला कार्यकारिणी परिषद के अवलोकनार्थ एवं आगामी दिशा–निर्देश हेतु प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मापदण्डों एवं शर्तों व विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 38.18 के अनुसार रामानुंजम शिक्षा महाविद्यालय, मांगल (सोलन) की सम्बद्धता समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–10: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वर्ष 2008–2009 व 2009–2010 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 (संशोधित) धारा–29 के प्रावधानों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने बारे ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय के वर्ष 2008–2009 व 2009–2010 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा–29 (2)के प्रावधान के अनुरूप विश्वविद्यालय कोर्ट के समक्ष रखने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या–11: माननीय मुख्य सूचना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 18–5–2013 के आदेशों के अनुसार अध्यादेश 14.19 में प्रस्तावित संशोधन को पारित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने मुख्य सूचना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 18–5–2013 के आदेशों के अनुसार अध्यादेश 14.19 निम्नलिखित संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:

Existing Amendment	**Proposed Amendment**
14.19 Declaration of Result:- (a) Marks will not be assigned to any part of the examination.	**14.19 Declaration of Result:-** (a) Provided that the result of the Post Graduate Degree/Diploma Courses students declared by showing their detail marks and detailed marks sheet will be issued to the students concerned.

(b) The result will be declared in the form of Pass/Fail.	(b) Deleted.
(c) If the candidate fails in Part-B of M.D./M.S. Examination he/she can re-appear at the subsequent examination of Part-B without requiring to submit a fresh thesis.	(c) If the candidate fails in Part-B of M.D./M.S. Examination he/she can re-appear at the subsequent examination of Part-B without requiring to submit a fresh thesis.
(d) The M.D./M.S. degree shall be conferred on the candidate only after the candidate has passed both in Part A and B examination.	(d) The M.D./M.S. degree shall be conferred on the candidate only after the candidate has passed both in Part A and B examination.

मद संख्या–12: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्कीसवें दीक्षांत समारोह का आयोजन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह अक्तूबर/नवम्बर, 2013 में आयोजित करने हेतु अनुमोदित किया । अगिम कार्रवाई हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

मद संख्या–13: हिमाचल सरकार से प्राप्त संख्याःएलएलआर–ई (9)–1/2003 दिनांक 4–3–2013 के आधार पर कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति कार्यकारिणी परिषद के अवलोकन/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने प्रदेश सरकार से प्राप्त संख्याःएलएलआर–ई (9)–1/2003 दिनांक 4–3–2013 के आधार पर श्री रणबीर चौहान, अधिवक्ता को जिला न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम तथा श्रम न्यायालय में विश्वविद्यालय के न्यायिक मामलों की पैरवी करने के लिए विश्वविद्यालय का कानूनी सलाहकार नियुक्त करने हेतु अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–14: प्रवेश प्रकिया की अन्तिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त आ रही समस्याओं से सम्बन्धित मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने विद्यार्थियों की मॉग को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों एवं

विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया हेतु अन्तिम तिथि 26 अगस्त, 2013 इस शर्त के साथ अनुमोदित की यदि वहां रिक्त सीटें उपलब्ध हैं ।

<u>मद संख्या–15:</u> दृश्य कला विभाग में दो सहायक आचार्यों के पदों का सृजन अथवा अन्य विभाग से पद स्थानानांतरण करवाना ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने दश्य कला विभाग में शिक्षकों की कमी को मध्यनजर रखते हुए अधिष्ठाता अध्ययन को अन्य विभागों से शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु प्राधिकृत किया ।

<u>मद संख्या–16:</u> विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना संख्याः16–20/80–हि0प्र0वि0(सा0) दिनांक 20–3–2013 के अन्तर्गत कानूनी सलाहकारों के कार्यों को पुनर्वितरण करने का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने बारे ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कानूनी सलाहकारों के अतिरिक्त विशेष न्यायिक मामलों में, मामले की गम्भीरता को देखते हुए कुलपति महोदय को ऐसे अधिवक्ता को जिसका न्यूनतम 10 वर्ष का विधिवक्ता का अनुभव हो को मामले की पैरवी करने हेतु नियुक्त/सूचीबद्ध करने के लिए प्राधिकृत किया। ऐसे न्यायिक मामले में नियुक्त अधिवक्ता को रिटेनर्शिप न देकर मामले की पैरवी करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता से विचार–विमर्श कर प्रति मुकदमा शुल्क दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को यह अधिकार रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय में अधिसूचना संख्याः16–20/80– हि0प्र0वि0(सा0) दिनांक 20–3–2013 के अंतर्गत नियुक्त कानूनों सलाहकारों को आबंटित किए गए विधिक कार्यों को मामले की महतता को देखते हुए मामला किसी दूसरे कानूनी सलाहकार को सौंपा जा सकता है ।

परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि न्यायिक मामलों में कार्य कुशलता लाने के लिए विश्वविद्यालय अपना कानूनी प्रकोष्ठ (Legal Cell) पुनः चालू करे ।

<u>मद संख्या–17:</u> कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के गैर–शिक्षक कर्मचारियों को दिए गए सचिवालय वेतन बारे प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति के विषय में स्पष्टीकरण हेतु ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने गैर–शिक्षक कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे सचिवालय वेतन, (Secretariat pay),स्टैनोग्राफी वर्ग को दिए जा रहे विशेष वेतनमान (Special Pay) तथा प्रयोगशाला एवं तकनीकी वर्ग को पंजाब पद्धति पर जारी किए गए उच्च वेतनमान पर प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया :

1– श्री हरीश जनारथा	–अध्यक्ष
2– श्री बम्बर ठाकुर	–सदस्य
3– श्री चन्द्रशेखर	–सदस्य
4– कुलसचिव	–सदस्य
5– सहायक कुलसचिव(प्रशासन)	–संयोजक

मद संख्या–18: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष श्री मोहमद ताहीर विदेशी छात्र (अफगानिस्तान मूल) विज्ञान निष्णात (गणित विभाग) का नियमित रूप का छात्र जिसका अनुक्रमांक 53051 चतुर्थ–सत्र जून, 2013 का नियमित और प्रथम सत्र का री–अपीयर का परीक्षा का परिणाम माननीय कुलपति महोदय की विशिष्ठ शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीघ्र घोषित करने का मामला अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति महोदय द्वारा विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मोहमद ताहिर विज्ञान निष्णात (गणित विभाग) के नियमित छात्र अनुक्रमांक–53051 के चतुर्थ–सत्र के नियमित व प्रथम सत्र की री–अपीयर की जून, 2013 में हुई परीक्षा के परिणााम को घोषित करने का पुष्टिकरण किया ।

मद संख्या–19: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग में चल रहे कोर्स/पाठ्यक्रमों में पॉच सीटें आरक्षित करने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग में चल रहे कोर्स/ पाठ्यक्रम में आवंटित सीटों के अतिरिक्त पॉच सीटें भरने के लिए कुलपति महोदय को विशेषाधिकार प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–20: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुबन्ध आधार पर कार्यरत सहायक आचार्य डॉ0 (सुश्री)डेजी वर्मा व डॉ0 संजीव कुमार बरागटा, हि0प्र0 विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला को नियमितीकरण का प्रकरण उचित निर्णय हेतु ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला अनुबन्ध आधार पर कार्यरत सहायक आचार्य डॉ0 (सुश्री)डेजी वर्मा व डॉ0 संजीव कुमार बरागटा की छानबीन समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा अनुबन्ध के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमितीकरण हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या–21: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष जीवनवृत उन्नति योजना के अर्न्तगत विभिन्न विषयों में पदोन्नति हेतु चयनसमिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशें को परिषद में पढ़ कर सुनाया। सिफारिशें निम्न प्रकार से हैः-

1. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य (विजुअल आटर्स विभाग)

डा. एच.के.चटर्जी, सह-आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 24.08.2012 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

2. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य (जीव विज्ञान विभाग):

डा. आनन्द सागर, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 01.02.2012 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

3. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (गणित विभाग):

निम्नलिखित शिक्षको को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गईः-

1. डा. जोगिन्दर सिंह धीमान, सह आचार्य	30.01.2011
2. डा. राजेश, सह आचार्य	01.06.2012
3. डा. प्रदीप कुमार, सह आचार्य (इक्डोल)	09.06.2012
4. डा. हरि मोहन, सह आचार्य (इक्डोल)	04.06.2012

अन्य मदें:

4. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत सह-आचार्य, (मनोविज्ञान विभाग):

डा. रोशन लाल जिन्टा, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 26.12.2011 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

5. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत सह-आचार्य, (लोक प्रशासन विभाग):

डा.(श्रीमती) अनुपमा सिंह, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 06.03.2012 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

6. जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (इतिहास विभाग):

डा.(श्रीमती) आभा मल्होत्रा, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 04.02.2013 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

7. (क) जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत आचार्य, (जैव-प्रौद्योगिकी विभाग)

डा. दूनी चन्द, सह आचार्य, जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 01.06.2012 से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई।

(ख) जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत सह-आचार्य, (जैव-प्रौद्योगिकी विभाग)

निम्नलिखित शिक्षको को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गईः-

1.	डा. वामिक आज़मी, सहायक आचार्य	07.04.2012
2.	डा. अरविन्द कुमार भट्ट, सहायक आचार्य	22.03.2012

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

आचार्य कैलाश चन्द ठाकुर

सम्माननीय सदस्य आचार्य कैलाश चन्द ठाकुर ने परिषद को अवगत करवाया कि विधि विभाग में विभाग के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए विभागीय समिति की दिनांक 26–7–2013 को हुई बैठक की सिफारिशों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2013–2014 से स्वयं–पोषित योजना के अंतर्गत भरी जाने बाली एल.एल.एम. की सीटों का पूर्व निर्धारित शुल्क 10,000/– से बढ़ाकर 30,000/– प्रति वर्ष किया गया है जिसे कार्यकारिणी परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

श्री चन्द्र शेखर

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि विश्वविद्यालय कोई भी इलैक्ट्रानिक समान प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत एच.पी.एस.ई.डी.सी. या अन्य फर्म से जो प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत हाे, निर्धारित दरों पर ही खरीदे, जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने अपनी सहमति दी ।

श्री बम्बर ठाकुर

सम्माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने कहा कि के.एल.बी. डी.ए.बी. महाविद्यालयए पालमपुर में चलाए जा रहे एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें मैनेजमैंट द्वारा भरी जाएं, जिसे कार्यकारिणी परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

डॉ0 के0पी0 ठाकुर

सम्माननीय सदस्य डॉ0 के0पी0 ठाकुर ने कहा कि अर्थशास्त्र विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे श्री एन.एस. बिष्ट तथा श्री वी.एस. नेगी को विश्वविद्यालय द्वारा सह–आचार्य के पद पर दी गई पदोन्नति के आधार पर अन्य विभागों में अध्यापन कार्य कर रहे सहायक आचार्यों को भी

पदोन्नति दी जाए । जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने निर्णय लिया कि मामले का परीक्षण कर इसे परिषद के समक्ष रखा जाए ।

बैठक पीठ को धन्यवाद् प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(आचार्य एम.एल. झारटा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति/कुलपति